न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 27 / 2019
GCMS No. : 2019/00077

प्रार्थीः– बनाम अप्रार्थीगण :–

दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली

1. गणपत सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह राजपुरोहित विक्रेता मैसर्स मां चामुण्डा आईसक्रीम प्रोडक्ट इन्द्रविहार नया गावं पाली
2. हरेश कुमार रामस्वरूप निर्माता फर्म बागोसा फुड प्रोडक्टस प्रा.लि. 1 / 13 Kalol GIDC behind saij bus station T - Kalol dist gandhinagar Gujarat 382721

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी अनुपस्थित।
2. अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री पृथ्वीसिंह उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 16.06.2022

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्त अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। दिनांक 14.06.2017 को दौराने गश्त अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म मैसर्स मां चामुण्डा आईसक्रीम प्रोडक्ट इन्द्र विहार नया गांव पाली पर गए। फर्म पर अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित मिला तथा वहां पर आईसक्रीम़ (medium fat frozen desert Bagoosa vanilla brand) ब्रिकी करते हुए पाया, वहां पर लगभग 10 बाक्स कप रखे हुए थे, प्रत्येक कप में 85 एमएल आईसक्रीम थी, जो आमजन को बिक्री हेतु रखे हुए थे, जिसमें मिलावट का शक हुआ, तब मौके पर प्रपत्र 5 ए भरकर रूबरू गवाहान व विक्रेता के हस्ताक्षर तैयार किया गया। उक्त आईसक्रीम बाक्स में से 16 कप आईसक्रीम़ वास्ते जांच हेतु क्रय कर, उक्त क्रयसुदा आईसक्रीम को चार शीशी में विभक्त कर 340–340 एमएल मात्रा लेकर प्रत्येक में 36–36 बुन्दे फौरमलिन डालकर ढक्कन एयर टाईट बंद किया तथा लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–671 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन क्रमांक एल.एस. / 603 / एक्ट / 2017 / 604 दिनांक 22.06.2017 में प्रार्थी द्वारा ली गई आईसक्रीम़ (medium fat frozen desert Bagoosa vanilla brand)को Sub Standrad पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा Sub Standrad आईसक्रीम़ (medium fat frozen desert Bagoosa vanilla brand) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने लिखित जवाब एवं दौराने बहस प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सख्या 1 की फर्म से आईसक्रीम् (medium fat frozen desert Bagoosa vanilla brand) का सेम्पल लिया है, जिसका निर्माता अप्रार्थी संख्या 2 है। अप्रार्थी संख्या 1 आईसक्रीम का हॉलसेल व्यापारी है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 से जिस अवस्था में माल क्रय किया जाता है उसे उसी अवस्था में विक्रय किया जाता है, जिसमें किसी प्रकार का फेरबदल या मिलावट नही की जाती है। अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 2 का मात्र डीलर है। जो अप्रार्थी संख्या 02 से आईसक्रीम् (medium fat frozen desert Bagoosa vanilla brand) क्रय कर अपने कोल्ड स्टोरेज में रख कर आगे विक्रेता को विक्रय करते है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की फर्म से लिये गये आईसक्रीम् (medium fat frozen desert Bagoosa vanilla brand) के सेम्पल में अप्रार्थी संख्या 1 का किसी प्रकार का दोष नही है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाने का आदेश फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 02 की और से अधिवक्ता अनुपस्थित होने से प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया गया।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.06.2017 को दौराने गस्त अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म पर गया तो, वहां पर गणपत सिंह पुत्र भंवर सिंह (विक्रेता मालिक) उपस्थित मिला। प्रार्थी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में प्रपत्र 5–ए भरकर दिया तथा इनकी उपस्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म से मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 14.06.2017 को अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म में बेचाण हेतु रखे हुए आईसक्रीम् (medium fat frozen desert Bagoosa vanilla brand) 16 कप प्रत्येक कप में 85 एलएल आईसक्रीम् वास्ते जांच हेतु क्रय कर, उक्त क्रयसुदा आईसक्रीम् को चार डिब्बो में विभक्त कर 340–340 एमएल मात्रा लेकर नमूना सीलबन्द करके नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। उक्त आईसक्रीम् के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 का कहना है कि वह अप्रार्थी संख्या 2 का डीलर है, वह मात्र पैक आईसक्रीम् (medium fat frozen desert Bagoosa vanilla brand). का बेचाण करता है, उसका निर्माण नहीं करता है तथा पत्रावली संलग्न बिल से भी यही स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त आईसक्रीम् (medium fat frozen desert Bagoosa vanilla brand)अप्रार्थी संख्या 2 से क्रय की है। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक / एल.एस. / 603 / एक्ट / 2017 / 604 दिनांक 22.06.2017 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–671 को "The sample of medium fat frozen desert (bagoosa vanilla brand) bearing code No and Sr No R 671 of designated officer cum chief medical & health officer pali is Sub-standard as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011." का माना है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली ने जरिये पत्रांक एफ.एस.एस.ए. /2019 / 2225–26 दिनांक 26.02.2019 के द्वारा विक्रेता को प्राप्त रिपोर्ट प्रेषित कर, पुनः जॉच निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला से निर्धारित समयावधि कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जो उसके द्वारा नहीं करवाए जाने से उसके विरूद्ध प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा आईसक्रीम् (medium fat frozen desert Bagoosa vanilla brand) जो जॉच में Sub-Standard पाया गया है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन किया गया है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा Sub Standrad खाद्य वस्तु आईसक्रीम (medium fat frozen desert Bagoosa vanilla brand) का निर्माण एवं विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी संख्या 01 पर 15,000/– अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये मात्र एवं अप्रार्थी संख्या 02 पर 1,00,000/– अक्षरे एक लाख रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 16.06.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली